क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एसपीएल–2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

भीम BHIM

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राप्रनिम / क्षैका किश / पीयूबी–162 / दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **श्री सत्यनारायण भाम्बी खनन पटट्ा संख्या 24 / 2020 ग्राम जाल का खेड़ा** द्वारा ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पटट्ा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	श्री सत्यनारायण भाम्बी खसरा संख्या 43,44, 45 एवं 954 / 47	24 / 2020	1.0017	जाल का खेड़ा	ग्रेनाईट	96028
2	श्री रामदेव	39 / 2018	2.2817	जाल का खेड़ा	ग्रेनाईट	206993
3	श्री बालकृष्ण झंवर	40 / 2018	1.0522	जाल का खेड़ा	ग्रेनाईट	77621
4	मैसर्स श्री बालाजी मार्बल एवं ग्रेनाईटस	121 / 2018	1.0066	जाल का खेड़ा	ग्रेनाईट	101394

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 5.3422 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–482036 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम जाल का खेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **श्री सत्यनारायण भाम्बी खनन पटट्ा संख्या 24 / 2020 ग्राम जाल का खेड़ा** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजनासे सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:–
    1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
    2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
    3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
    4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
    5. तहसील–केकड़ी, जिला–अजमेर।
    6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, जुनियां, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ / विकास / 2022 / 5312 दिनांक 13.05.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 27 / 06 / 2022 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, जुनियां, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तँवर)
पर्यावरण अभियंता
एवं क्षैत्रीय अधिकारी